<u>बीस सूत्री कार्यक्रम</u>

बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 की पुनर्संरचना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यथा निहित सरकार की प्राथमिकताओं, संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों और सार्क सामाजिक चार्टर के अनुरुप की गई है । पुनर्निर्धारित बीस सूत्री कार्यक्रम-2006(टीपीपी-2006) नामक कार्यक्रम कैबिनेट द्वारा 5 अक्टूबर,2006 को अनुमोदित किया गया था और 1.4.2007 से प्रचालित किया जा रहा है ।

परिचय:

बीस सूत्री कार्यक्रम(टीपीपी) वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया था । इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में संशोधित और 1986 में पुर्नसंशोधित किया गया था । इन वर्षों के दौरान उपलब्धियों और अनुभवों के आलोक में तथा साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा विभिन्न नई नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत के कारण कार्यक्रम को पुनर्निर्धारण की आवश्यकता महसूस की गई ।

टीपीपी-2006 के तहत ये कार्यक्रम और स्कीमें राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम(एनसीएमपी) में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरुप हैं । यह गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता बढ़ाने, आय असमानता को कम करने और सामाजिक एवं आर्थिक असमानता दूर करने में देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 में 20 बिन्दु और 66 मॉनीटरिंग योग्य मदें हैं । आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय निम्नलिखित 3 बिन्दुओं के लिए नोडल मंत्रालय है:-

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सलाह पर मंत्रालय उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में वास्तविक लक्ष्य तय करता है और उनके द्वारा की गई प्रगति की मॉनीटरिंग करता है । राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को इस मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट देनी होती है । निष्पादन की रेटिंग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तय मानकों के आधार पर तय की जाती है - 90% और ऊपर - बहुत अच्छा: 80%-90% अच्छा और 80% से कम -खराब ।

I गरीबी हटाओं(गरीबी उन्मूलन) शहरी क्षेत्र

गरीबी उन्मूलन भारत में आर्थिक विकास की नीति का एक अभिन्न घटक है । उच्च गरीबी स्तर का तात्पर्य निम्न जीवन स्तर, बुनियादी सुविधा की कमी , खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अशिक्षा और मानव संसाधन का कम विकास से है । रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन का एक अति महत्वपूर्ण तरीका है । शहरी गरीबी से निपटने के लिए " स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना " की शुरुआत की गई है ।

इस बिंदु के अंतर्गत यूएसईपी घटक के तहत भौतिक प्रगति (संचयी) अनुलग्नक " क " में देखा जा सकता है ।

II सबके लिए आवास

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास

सरकार शहरी नवीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम और शहरों और कस्बों में आवासों में व्यापक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है । सबके लिए आवास में शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास जैसी मदें हैं । शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों और अल्प आय वर्गो के लिए आवास की समस्याओं से निपटने के लिए " शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासीय " मदों को शामिल किया गया है ।

इस बिन्दु के तहत वर्ष 2007-08 के लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुलग्नक " ख " में देखा जा सकता है ।

III बस्ती सुधार:- 7 सुत्री चार्टर यथा, भूमि की अवधि , वहनीय लागत पर मकान ,जल,सफाई,स्वास्थ्य,शिक्षा, और समाजिक सुरक्षा के तहत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की संख्या

शहरी स्लम, खासकर हमारे देश के बड़े शहरों में मानव की दुखद स्थिति और अवनति का दृश्य प्रस्तुत करता है । शहरीकरण आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य घटक है । स्लम, शहरी क्षेत्र के विकास में ढांचागत असमानताओं के पनरिणामस्वरुप उत्पन्न होते हैं । भूमि और आवास की उच्च दर और कम क्रय शक्ति के कारण, शहरी गरीब सस्ते आश्रय के लिए या फिर किसी खाली भूमि/क्षेत्रों, जहां भी शहर में उपलब्ध हों, पर कब्जा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं । स्लम में रहने वालों की तरफ विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से बस्ती सुधार नामक बिन्दु, सात सूत्री चार्टर, यथा भूमि की अवधि, वहनीय लागत पर मकान, जल,सफाई,स्वास्थ्य, शिक्ष और सामाजिक सुरक्षा के तहत सहायता प्राप्त अनेक शहरी गरीब परिवारों की मॉनीटरिंग करेगा ।

इस बिन्दु के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुलग्नक " ग " में देखा जा सकता है ।

(9/9/2008 तक अद्यतन)

2007-2008 के दौरान केन्द्रीय अनुदान जारी और भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2007-08 में कुल एसजेएसआरवाई नियतन (लाख रु0 में)	2007-08 में जारी केन्द्रीय अनुदान (लाख रु0 में)	एमई स्थापित करने हेतु सहायतार्थ शहरी गरीबों की सं0 हेतु राज्यवार लक्ष्य	एमई स्थापित करने हेतु सहायतार्थ शहरी गरीबों की सं0 हेतु राज्यवार उपलब्धियां	शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण हेतु राज्यवार लक्ष्य	शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण हेतु राज्यवार उपलब्धियां
1	आंध्र प्रदेश	**2058.41**	**2058.41**	8006	16436	10008	27599
2	अरूणाचल प्रदेश	**148.64**	**148.64**	12	0	15	0
3	असम	**1974.81**	**1974.81**	164	30	205	102
4	बिहार	**1225.54**	**1225.54**	4767	0	5958	0
5	छत्तीसगढ.	**741.48**	**741.48**	2884	3910	3605	3247
6	गोवा	**73.29**	**0.00**	285	0	356	0
7	गुजरात	**958.18**	**958.18**	3727	8707	4659	11283
8	हरियाणा	**361.47**	**553.03**	1406	4427	1757	6638
9	हिमाचल प्रदेश्	**7.70**	**7.69**	30	166	37	243
10	जम्मू व कश्मीर	**105.86**	**105.86**	412	488	515	1347
11	झारखंड	**480.90**	**480.90**	1870	0	2338	0
12	कर्नाटक	**2410.37**	**2410.37**	9375	13955	11719	11502
13	केरल	**629.74**	**629.74**	2449	3432	3062	3982
14	मध्य प्रदेश	**3120.18**	**3120.18**	12136	17043	15170	14200
15	महाराष्ट्र	**5944.50**	**5944.50**	23121	42370	28902	78002
16	मणिपुर	**297.28**	**297.28**	25	6	31	1256
17	मेघालय	**254.81**	**254.81**	21	144	26	1692
18	मिजोरम	**233.58**	**233.58**	19	0	24	2149
19	नागालैंड	**191.11**	**191.11**	16	255	20	255
20	उड़ीसा	**1099.33**	**1099.33**	4276	9719	5345	7657
21	पंजाब	**159.24**	**159.24**	619	0	774	1315
22	राजस्थान	**1832.21**	**1832.21**	7126	8832	8908	4645
23	सिक्किम	**42.47**	**115.77**	4	71	4	350
24	तमिलनाडु	**2650.59**	**2650.59**	10310	13026	12887	8193
25	त्रिपुरा	**297.28**	**297.28**	25	655	31	4316
26	उत्तरांचल	**350.61**	**350.61**	1364	0	1705	0
27	उत्तर प्रदेश	**4545.23**	**4545.23**	17679	26080	22098	54869
28	पश्चिम बंगाल	**1205.19**	**1205.19**	4688	9468	5859	1547
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**43.55**	**0.00**	48	53	59	0
30	चंडीगढ.	**58.06**	**0.00**	63	30	79	745
31	दादर व नगर हवेली	**25.81**	**0.00**	28	0	35	0
32	दमन व द्वीव	**22.58**	**0.00**	25	0	31	0
33	दिल्ली	**92.20**	**0.00**	2785	1297	3482	250
34	पांडिचेरी	**7.80**	**100.00**	236	450	295	880
	कुल	**33650.00**	**33691.56**	**120000**	**181050**	**150000**	**248264**

<u>अनुलग्नक-ख</u>

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास
निर्मित आवास
(यूनिट : संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धि अप्रैल 2007- मार्च, 2008	उपलब्धि % अप्रैल 2007- मार्च, 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	अरुणाचल प्रदेश	3,277	0	0
2	छत्तीसगढ़	11,500	10,979	95
3	दिल्ली	26,486	6,600	25
4	गुजरात	500	500	100
5	हरियाणा	1,340	1,117	83
6	मध्य प्रदेश	6,474	911	14
7	महाराष्ट्र	52,616	0	0
8	पंजाब	7,500	0	0
9	राजस्थान	2,030	2,096	103
10	सिक्किम	4	4	100
11	तमिलनाडु	6,000	3,230	54
12	त्रिपुरा	5,400	0	0
13	उत्तर प्रदेश	4,700	2,938	63
14	पश्चिम बंगाल	348	224	64
15	चंडीगढ़	5,449	0	0
16	लक्षद्वीप	80	0	0
	सकल योग	1,33,704	28,599	21

<u>बहुत अच्छा:(90% या इससे अधिक लक्ष्य)</u>

छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम

<u>अच्छा:(80% से 90% लक्ष्य के बीच)</u>

हरियाणा

<u>खराब :(लक्ष्य के 80% से नीचे)</u>

अरुणाचल प्रदेश,दिल्ली,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब,तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, लक्षद्वीप

स्रोतः 2007-08 हेतु प्रगति रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<u>अनुलग्नक-ग</u>

सात सूत्रीय चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की सं0
सहायता प्राप्त गरीब परिवार
(यूनिट : संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धि अप्रैल 2007- मार्च, 2008	उपलब्धि % अप्रैल 2007- मार्च, 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	आंध्र प्रदेश	79,320	2,64,727	334
2	असम	288	0	0
3	बिहार	14,200	2,025	14
4	छत्तीसगढ़	5,000	0	0
5	गुजरात	4,000	4,000	100
6	मेघालय	1,125	1,311	117
7	सिक्किम	1,000	1,041	104
8	तमिलनाडु	8,000	8,000	100
9	त्रिपुरा	2,380	2,340	98
10	उत्तर प्रदेश	6,168	70	1
11	लक्षद्वीप	20	0	0
	सकल योग	1,21,501	2,83,514	233

<u>बहुत अच्छाः(90% या इससे अधिक लक्ष्य)</u>
आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा

<u>खराब :(लक्ष्य के 80% से नीचे)</u>
असम, बिहार, छत्तीसगढ़,उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप

स्रोतः 2007-08 हेतु प्रगति रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय